1.53 लाख ग्राम 'समस्याग्रस्त' हैं (अर्थात् वे गांव जिनमें 1.6 कि. मी. की दूरी तक कोई जल स्रोत नहीं है या 15 मीटर की गहराई के अन्दर जल उपलब्ध नहीं है या उपलब्ध जल प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है) इसके बाद राज्य, समय-समय पर सूचित करते आ रहे हैं कि 'समस्याग्रस्त' गांव इनसे भी और अधिक हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि 1-4-1980 तक ऐसे गांवों की संख्या जिन्हें अभी भी सुरक्षित पेयजल देने की व्यवस्था की जानी है, 2 लाख के लगभग हैं और इनकी आबादी लगभग 12.25 करोड़ की है।

राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के संसाधानों से वर्ष 1980–85 के दौरान शेष 'समस्याग्रस्त' गांवों में पेयजल का प्रबन्ध करने का विचार है।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए पानी

837. **श्री नन्द किशोर शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का सूखाग्रस्त क्षेत्रों में हाथ के पम्प लगाने का कोई कार्यक्रम है और यदि हां, तो अब तक लगाये गये हाथ के पम्पों तथा लगाये जाने वाले हाथ के पम्पों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में हाथ के पम्प लगाये गये हैं और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है तथा क्या सरकार का भविष्य में वहां हाथ के पम्प लगाने का विचार है?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी): (क) इस मामले की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्रीय सरकार (1) कठोर चट्टानी क्षेत्रों में कुएं खोदने के लिए डी. टी. एच. रिगों की संख्या उनके भण्डार में बढ़ाने, (2) सूखाग्रस्त राज्यों को अग्रिम प्लान सहायता देने, (3) समस्याग्रस्त गांवों में पेय-जल मुहैया करने के लिए केन्द्रीय प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों का नियतन करने, (4) हैण्डपम्प बनाने के लिए उच्च अग्रता आधार पर इस्पात प्राप्त करने में और (5) प्रभावित क्षेत्रों को पानी की सप्लाई के लिए आकस्मिकता प्लान बनाने में मार्गदर्शन दे करके राज्यों को उपलब्ध नहीं है।

(ख) संबंधित राज्य सरकारों का कार्यक्रम संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सूचना केन्द्रीय सरकार के पास उपलबध नहीं है।

विवरण

सूखाग्रस्त राज्यों के कठोर चट्टानी क्षेत्रों में किए जाने वाले नलकूपों का लक्ष्य एवं कार्य निष्पादन

क्रम सं०	राज्य	उन सूखाग्रस्त ग्रामों की सं० जिनमें पेय जल की सप्लाई की जानी है	अप्रैल के अन्त तक उपलब्ध रिगों की संख्या	लगाए जाने वाले नलकूपों की संख्या	17-5-1980 को समाप्त होने वाले सप्ताह तक की प्रगति: दिसम्बर, 79 के अन्त तक पूर्ण किए गए नलकूपों की संख्या	जनवरी—मार्च के दौरान पूर्ण किए गए नलकूपों	अप्रैल के दौरान पूर्ण किए गए नलकूपों की संख्या	17 मई को समाप्त होने वाले सप्ताह तक मई, 80 के दौरान पूर्ण किये गए नलकूपों की संख्या	17 मई को समाप्त होने वाले सप्ताह तक पूर्ण किए गए नलकूपों की संख्या	शेष नलकूपों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6+7+8+9)	11 (5-10)
1.	बिहार	6767	32	2054	708	479	180	123	1490	554
2.	मध्य प्रदेश . . .	20374	117	8246	1531	2616	419	295	4861	5385
3.	उड़ीसा	15200	21	6518 क	3207	1575	585	115	5522	996
4.	राजस्थान . . .	3251	26 ख	380 ख	..	..	..	.	195 ख	185
5.	उत्तर प्रदेश . . .	5570	21	520	6 ग	152 ग	95 ग	..	222 ग	298
6.	पश्चिम बंगाल . . .	8896	30	2800	741 ग	628 ग	230 ग	..	1442	1378

क. मार्च, 80 तक लक्षित प्रगति 5462 थी। जुलाई, 80 के अन्त तक मार्च, 80 तक नान-कवरेज के स्पिलओवर सहित 1736 नलकूपों को प्रारम्भ करने के लिए कार्यक्रम बनाया गया है। योग 6518 होता है।

ख. अब ये आंकड़े राज्य सरकार द्वारा भेजे गए हैं और उस पर केन्द्रीय दल के साथ विचार विमर्श किया गया था जिसने वर्तमान सूखे के संदर्भ में पिछले आंकड़ों के अधिक्रमण में वर्तमान लक्ष्य तथा प्रगति के लिए सूखे की स्थिति का अध्ययन करने के लिए, 28 अप्रैल, पहली मई, 1980 के दौरान राज्य का दौरा किया था।

ग. इन आंकड़ों में उथले बोरों को भी शामिल किया गया था, किन्तु उन्हें हैण्डपम्पों के साथ नहीं लगाया गया था।